लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक–विद्या / एच / 11 / 2008 / 2075

भोपाल, दिनांक 06 / 9 / 2008

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
2. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश

विषयः– विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत् विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्तियां वर्ष 2008–09

विषयान्तर्गत शिक्षण सत्र 2008–09 हेतु नियमित अध्ययनरत् विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदाय की जाने हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 427 तथा पत्र क्र 1184–85 के द्वारा आपसे हितग्राहियों की संख्या चाही गई थी, किन्तु यह संख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इन छात्रवृत्तियों के संबंध में आवश्यक विवरण पुनः संलग्न प्रेषित है। है। स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित छात्रवृत्तियों में स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुार तथा अन्य विभागों से संबंधित छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति में संबंधित विभागों के निर्देशानुसार हितग्राही छात्र–छात्राओं की जानकारी, आवेदन पत्र प्रेषण आदि समस्त कार्य समयावधि में सुनिश्चित किया जाये। सम्पूर्ण कार्यवाही में निम्नांकित निर्देशों का पालन आवश्यक रूप से किया जाये :–

1– छात्रवृत्ति के लिए संबंधित विद्यार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जाएगा। आवेदन का प्रपत्र शाला द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

2– आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण–पत्र लगाना होगा। बी.पी.एल. सूची में नाम होने का प्रमाण–पत्र दिये जाने पर आय प्रमाण–पत्र आवश्यक नहीं होगा। वेतन भोगी अधिकारी/कर्मचारी अभिभावकों के लिए आहरण संवितरण अधिकारी का आय प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

3– संबंधित विद्यार्थी द्वारा आवेदन शाला प्रमुख के पास प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक जमा किए जा सकेंगे।

4– छात्रवृत्तियों के आवेदनपत्र यथा संभव शाला स्तर पर ही संधारित किये जायें तथा चयनित छात्रों की संख्या की जानकारी संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 30/9/2008 तक दी जाये।

5– जिला शिक्षा अधिकारी छात्रवृत्तिवार संख्या की जानकारी 05 अक्टूबर 2008 तक संभागीय संयुक्त संचालक को देंगे।

6– संभागीय संयुक्त संचालक 10 अक्टूबर तक समेकित जानकारी संचालनालय में प्रस्तुत करेंगे।

7– राज्य स्तर से छात्रवृत्ति की राशि जिले की मांग के अनुरूप 15 अक्टूबर तक जारी की जाएगी।

8– जिले द्वारा पालक शिक्षक संघ के खाते में आवश्यक राशि 20 अक्टूबर तक प्रदान की जाएगी।

9– पालक शिक्षक संघ द्वारा पात्र विद्यार्थियों को 31 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति का वितरण एक मुश्त किया जाएगा।

10–वितरण कार्यक्रम समारोह पूर्वक किया जाएगा तथा इसमें ग्राम के जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों बच्चों के माता–पिता को आमंत्रित किया जाएगा। वितरण करने वाले अधिकारी को छात्रवृत्ति भुगतान के पश्चात् जिन व्यक्तियों के सामने भुगतान किया गया हो उनसे वितरण पत्रक पर प्रमाणित करा लेना आवश्यक है कि छात्रवृत्ति पूर्ण वितरित की गई है।

11–वितरित छात्रवृत्ति की जानकारी 15 नवम्बर तक उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रवृत्ति प्रदान करते वक्त यह देखा जाएगा कि संबंधित विद्यार्थी की प्रतिमाह तक कम से कम 75 प्रतिशत दिवस (शासकीय अवकाश घटाकर) शाला में उपस्थिति रही हो। अन्यथ 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। यदि फार्म भरने के बाद छात्रवृत्ति वितरण के पूर्व कोई छात्र शाला छोड़ देता है तो उसे भी छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जाएगी।

12–यदि छात्रवृत्ति स्वीकृति के बाद किसी स्तर पर यह सिद्व पाया जाता है कि वह छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं था तो छात्रवृत्ति स्वीकृत आदेश निरस्त कर दिया जाएगा और दी गई छात्रवृत्ति की धनराशि वसूल की जाएगी।

13–छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का अधिकार संलग्न परिशिष्ट के तालिका –5 अनुसार होगा।

14–छात्रवृत्ति की पात्रता विद्यार्थी को वर्ष में अधिकतम केवल 10 माह के लिए (अकादमिक सत्र के लिए) होगी। यदि विद्यार्थी द्वारा 30 जुलाई के बाद प्रवेश लिया जाता है तो अकादमिक सत्र की अवधि के अनुपात में राशि स्वीकृत की जाएगी।

15–यह छात्रवृत्तियां केवल नियमित अध्ययनरत छात्रों के लिए ही दी जाती है।

dk

16–अग्रेषणकर्ता/स्वीकृतकर्ता अधिकारी संस्था प्रमुख द्वारा आय सीमा का अनिवार्यतः परीक्षण कर लिया जाये।
17–शासन की विशेष मंजूरी के बिना कोई छात्र–एक ही समय में एक से अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करेगा।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिला/संभाग अंतर्गत आयोजित होने वाली प्राचार्यो की बैठक में इन छात्रवृत्तियों की जानकारी विस्तृत रूप से दी जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन छात्रवृत्तियों हेतु जो भी वंटन आपको दिया जाता है उसका पूर्णतः उपयोग किया जाये तथा आवश्यक होने पर अतिरिक्त वंटन की मांग की जाये।

सत्रांत में यदि यह पाया जाता है कि जिलें में हितग्राही उपलब्ध होने के बावजूद भी जिले को दिये गये वंटन का समर्पण किया गया है और कोई हितग्राही वंचित हो गया है तो शाला प्रमुख तथा जिला शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

संलग्न परिशिष्ट–एक अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित की जाये। समय सीमा में वितरण न होने की स्थिति में हितग्राही छात्र/छात्रा द्वारा परिशिष्ट एक की तालिका–6 में उल्लिखित अधिकारी का अभ्यावेदन किया जायेगा। 30 दिन में निराकरण न होने की स्थिति में तालिका 07 में उल्लिखित अधिकारी को अभ्यावेदन किया जायेगा।

(डॉ0 कौशल किशोर पाण्डेय)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्रमांक–विद्या/एच/11/2008/2076 भोपाल, दिनांक 06/9/2008

प्रतिलिपि :–

1– विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
2– प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3– प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
4– प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
5– सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
6– सचिव, राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग, भोपाल।
7– आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
8– आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
9– आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल।
10– सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
11– सचिव, मदरसा बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल।
12– निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, मध्यप्रदेश भोपाल।
13– संचालक, जन सम्पर्क कार्यालय, बाणगंगा भोपाल।
14– समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
15– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
16– सहायक संचालक कम्प्यूटर(स्थानीय) वेबसाईट/ई–मेले हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

dk

परिशिष्ट– एक

विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत् विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्तियां वर्ष 2008–09

सक्र	छात्रवृत्ति का नाम	प्रतिमाह राशि (10 माह)	निर्धारित अर्हता	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	निर्धारित समयावधि में राशि प्राप्त न होने पर अभ्यावेदन हेतु अधिकृत अधिकारी	तालिका 6 में अंकित अधिकारी द्वारा 30 दिन में निराकरण न होने पर अभ्यावेदन किये जाने वाले सक्षम अधिकारी तथा पर्यवेक्षक अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
01.	मृत/अपंग/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों को	**1 से 5 05/–** **6 से 8 12/–** **9 से 12 25/–**	मृत/अपंग/से0नि0 कर्मचारियों के बच्चों को जो शास. विद्यालय में अध्ययन कर रहें हो।	संबंधित शाला प्राचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक
02.	पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति	**1 से 5 35/–** **6 से 8 40/–** **9 से 12 45/–**	पितृहीन कन्यायें जो शास.विद्यालय में अध्ययनरत हों।	संबंधित शाला प्राचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक
03.	समर्पण करने वाले दस्यु के बच्चों एवं दस्यु पीडित परिवारों के बच्चों को शिष्यवृत्ति	कक्षा — गैरछात्रा वासी — छात्रावासी 1से 5 — 35/– — 60/– 6से 8 — 40/– — 60/ – 9से12 — 45/– — 65/–	जो डकैत समर्पण कर दें उनके बच्चों को तथा डकैतो द्वारा पीडित परिवार के बच्चों को जो शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो।	संबंधित शाला प्राचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक
04.	सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति	छात्र 200/– वार्षिक छात्रा 300/– वार्षिक	1– छात्र या छात्रा शासकीय शाला के कक्षा 6 से 8 में नियमित विद्यार्थी हो। 2– सामान्य वर्ग का ऐसा विद्यार्थी हो, जिसके परिवार की वार्षिक आय रुपये 54000/– से अधिक न हो।	क्रियान्वयन की मुख्य ईकाईयाँ :– 1– शाला स्तर पर :– प्रधान अध्यापक, पालक शिक्षक संघ 2– जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर :– जनशिक्षक 3– जनपद स्तर पर जनपद शिक्षा केन्द्र – विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक 4– जिला स्तर पर :– जिला शिक्षा केन्द्र 5– राज्य स्तर पर :– राज्य शिक्षा केन्द्र **इस छात्रवृत्ति हेतु सम्पूर्ण जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र की वेबसाइट www.ssa.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।**		

dk1

05.	स्वामी विवेकानन्द पोस्ट मेट्रिक प्राविण्य छात्रवृत्ति योजना	छात्र–500 प्रतिवर्ष छात्रा–550 प्रतिवर्ष	प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 10वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर 11वीं में तथा 11वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर 12वीं में अध्ययनरत ऐसे सामान्य वर्ग के उन विद्यार्थियों को जिनके परिवार की वार्षिक आय 54000/–से अधिक न हो।	संबंधित शाला प्राचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक
06.	स्वामी विवेकानन्द प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति	छात्र– 300 प्रतिमाह छात्रा–400 प्रतिमाह	इस छात्रवृत्ति में शासकीय स्कूलों में कक्षा 9वीं एवं 10वीं में पढ रहे सामान्य वर्ग के उन समस्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जावेगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 54000/– से अधिक न हो।	संबंधित शाला प्राचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक
07.	सुदामा शिष्यवृत्ति योजना	छात्र– 500 प्रतिमाह छात्रा–525 प्रतिमाह	सामान्य वर्ग के ऐसे निर्धन छात्र जो प्रदेश के जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में अध्ययनरत हैं एवं छात्रावास में निवास करते है, तथां जिनके परिवार की वार्षिक आय 54000/– से अधिक न हो।	संबंधित शाला प्राचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक
08.	डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना	छात्र– 5000 प्रतिवर्ष छात्रा–5000 प्रतिवर्ष	प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक संकाय के सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र एवं छात्रा को यह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इनके परिवार की वार्षिक आय 54000/– से अधिक न हो।	जिला शिक्षा अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक	संचालक
09.	सैनिक स्कूल रीवा	1000/– प्रतिमाह तथा नियमानुसार गणवेश भत्ता	सैनिक स्कूल रीवा में अध्ययनरत मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति	संबंधित शाला प्राचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक
10	संस्कृत छात्रवृत्ति	1 रुपये 50/– प्रति माह प्रथमा के लिए तथा रुपये 75/– प्रतिमाह मध्यमा के लिए	परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए	संबंधित संकुल प्राचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक
		2 रुपये 250/– प्रति माह	कक्षा 9 एवं 10 के लिए कक्षा 8वीं में 60 प्रतिशत अंक अर्जित करने पर	संस्कृत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन सीधे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56–57 इंस्टटीट्यूशनल एरिया जनकपुरी, नई दिल्ली को भेजे जायें। संस्थान के आवेदन www.sanskrit.nic.in से डाउनलोड करें।		
		रुपये 300/– प्रति माह	कक्षा 11 एवं 12 के लिए कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत अंक अर्जित करने पर			

dk1

11	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 2007 अंतर्गत छात्रवृत्ति/ मेघावी पुरस्कार योजना	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित शाला/विद्यालय के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित किये जाने पर छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत		
12	अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना	यह छात्रवृत्ति भारत शासन द्वारा वर्ष 2007–08 से लागू की गई है। मध्यप्रदेश में आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश के अधीन संधारित की जाएगी।	योजना से संबंधित जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट alpsankhak kalyan पर उपलब्ध है।		
13	अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना	यह छात्रवृत्ति भारत शासन द्वारा वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की जानी है तथा मध्यप्रदेश में आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश के अधीन संधारित की जाएगी।	योजना से संबंधित जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट alpsankhak kalyan पर उपलब्ध है।		
14	मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों के पुत्र/पुत्रियों के लिए	1– छात्र/छात्रा जिसको नगद पुरस्कार राशि स्वीकृत की जानी है वह मण्डल द्वारा पंजीकृत एवं परिचय–पत्र हिताधिकारी का ही पुत्र/पुत्री है। 2– उपर्युक्त छात्र/छात्रा गत वर्ष परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर संस्था की पूर्णकालिक छात्र–छात्रा है।	1–शासकीय विद्यालय–प्राचार्य हायर सेकेण्ड्री/हाईस्कूल 2–अशासकीय विद्यालय प्राचार्य संकुल		कलेक्टर
15	प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति	1– पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 10 के वे विद्यार्थी जिनके माता–पिता/अभिभावक आयकर दाता की सीमा में नहीं आते और जिनके पास 10 एकड़ से कम भूमि है। 2– सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र हेतु कक्षा 11वीं 12वीं और महाविद्यालयीन, व्यवसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी है तथा जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रुपये 75000/– से कम है को यह छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता है। वार्षिक आय रुपये 75000/– से 1,50,000/– तक होने पर पूर्ण अनुरक्षण भत्ता तथा आधा शुल्क देय होगा।	संबंधित शाला प्राचार्य संबंधित शाला प्राचार्य	विभागीय जिला सहायक आयुक्त जिला संयोजक/नोडल संस्था प्रमुख/ महाविद्यालय प्राचार्य /शाला प्राचार्य विभागीय जिला सहायक आयुक्त जिला संयोजक/नोडल संस्था प्रमुख/ महाविद्यालय प्राचार्य /शाला प्राचार्य	कलेक्टर कलेक्टर
16	प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति अतिरिक्त पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को छात्रवृत्ति	1– अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति के उन्ही छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता है जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी है और किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित छात्र–छात्रा है। इस योजना में आय सीमा का बंधन नहीं हैं 2– कक्षा 11 से लेकर स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं जिसमें आयुर्वेदिक कक्षाओं जिसमें आयुर्वेदिक, इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा भी शामिल है, मैं अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों हेतु । 3– कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी जो छात्रावास में प्रवेशित है। (पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति में देय छात्रवृत्ति के अतिरिक्त) 4– सहरिया, भारिया तथा बैगा जनजाति के कक्षा पहली से पाँचवीं तक के शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों हेतु	संबंधित शाला प्राचार्य संबंधित शाला प्राचार्य संबंधित शाला प्राचार्य विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय	सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग/जिला संयोजक सहायक आयुक्त सहायक आदिम जाति कल्याण विभाग/जिला संयोजक सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग/जिला संयोजक कलेक्टर/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण	कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर

आवेदन पत्र

छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति ....

1– विद्यार्थी का पूरा नाम ....
2– जाति ....उपजाति...
3– जन्म दिनांक ....
4– शाला (शिक्षण संस्था) का नाम...
5– कक्षा..
6– शिक्षण संस्था में प्रवेश की दिनांक ....
7– कक्षा में प्रवेश दिनांक ....
8– गत वार्षिक परीक्षा का परीक्षा परिणाम (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण)
9– प्रार्थी के पिता/पालक का नाम ....माता का नाम.......
....पता/स्थान...
...तहसील........................जिला....................
11– प्रार्थी यदि किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावास में रहता है, तो उसका नाम...

स्थान :–
दिनांक :–

....
विद्यार्थी के हस्ताक्षर

घोषणा – पत्र

मैं, घोषित करता हूँ कि मेरी वार्षिक आय ....रुपये है।

स्थान...............................
दिनांक...........................

....
पिता/पालक के हस्ताक्षर

प्रमाण – पत्र

मेरी जानकारी तथा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों के आधार पर प्रार्थी द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। प्रार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता रखता है। अतः मैं प्रार्थी को छात्रवृत्ति स्वीकृत करता हूँ।

....
स्वीकृतकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर और पदमुद्रा

dk